

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/ 20 सन् 2015

वउनवान

1. शिवदेई पत्नी उदयसिंह जाति जाट निवासी वडका तहसील कठूमर

----- वादिया

वनाम

1. मनोजकुमार पुत्र प्रकाशचन्द जाति ब्राहमण निवासी कठूमर

2. रामनिवास पुत्र लखनसिंह जाति ब्राहमण निवासी कठूमर

3. राजेश पुत्र लखनलाल जाति ब्राहमण निवासी कठूमर

4. जगदीश पुत्र मदनलाल जाति ब्राहमण निवासी साँख

5. जगमोहन पुत्र मदनलाल जाति ब्राहमण निवासी साँख

6. सुरेशचन्द पुत्र जगदीशप्रसाद जाति ब्राहमण निवासी मथुराहेडा

7. अशोककुमार पुत्र पूरनचन्द जाति ब्राहमण निवासी मथुराहेडा

8. लक्ष्मणप्रसाद पुत्र नत्थीलाल जाति ब्राहमण निवासी कठूमर

9. कमलेश पुत्र नत्थीलाल जाति ब्राहमण निवासी कठूमर

तहसील कठूमर

10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कठूमर

— प्रतिवादीगण

दावा तकसीम वो हुक्मइन्तनाई दवामी

उपरिथत :-

श्री रामजीलाल शर्मा एडवोकेट - वकील वादी

निर्णय

दिनांक 21.02.2018

वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 1196 रकवा 0.44 हे. ग्राम कठूमर तहसील कठूमर में स्थित है।


उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)


जिस आराजी का 1/8 हिस्सा तर्फ उत्तर को वादिया के हक हिस्सा व कब्जे में आया हुआ है जिस पर वादिया काविज रहकर काश्त करती चली आ रही है। शेष हिस्सा प्रतिवादीगण का है। विवादित आराजी मौके पर वंटी है। लेकिन विवादित आराजी राजस्व रेकार्ड में वादिया एवं प्रतिवादीगण के नाम शामिलता खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। प्रतिवादीगण जबर्दस्त व्यक्ति हैं जो उक्त आराजी में वादिया के 1/8 हिस्सा तर्फ उत्तर के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते हैं। वादिया ने प्रतिवादीगण से विवादित आराजी को मुताविक घरेलु वंटवारा कानूनी तकासमा कराने व राजस्व रेकार्ड में अलग अलग खातेदारी दर्ज कराने वावत कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया। अतः वादिया विवादित आराजी में मुताविक घरेलु वंटवारा अपने 1/8 हिस्सा तर्फ उत्तर की आराजी तकसीम कराने राजस्व रेकार्ड में अपने नाम अलग खाता खुलवाने व प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने की अधिकारी हैं। अतः दावा वादिया मुताविक अनुतोष डिक्री किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादीगण ने विवादित आराजी की मौके पर घरेलु वंटवारा के अनुसार अलग अलग खाता कायम करने की सहमति दी जिस सहमति के आधार पर दावा वादिया दिनांक 08.05.2017 को प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार कटूमर से कुरेजात रिपोर्ट तलव की गयी। तहसीलदार कटूमर ने अपनी कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 05.12.2017 को हाजिर अदालत होकर पेश की है जो शामिल पत्रावली है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड व कुरेजात रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादिया की वहस सुनी गयी। कुरेजात रिपोर्ट तहसीलदार पर किसी पक्ष ने कोई आपत्ति नहीं की है। अतः मुताविक कुरेजात रिपोर्ट तहसीलदार कटूमर दावा वादिया अंतिम रूप से डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है।


उपखण्ड अधिकारी
कटूमर (अलवर)

उक्त आदेश है कि दावा वादिया अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर वादिया शिवदेई पत्नी उदयसिंह जाति जाट निवासी बडका को आराजी खसरा नम्बर 1196 गिन तर्फ उत्तर रकवा 0.06 हे. बाके ग्राम कटूमर तहसील कटूमर तकसीम में दिया जाता है तथा खसरा नम्बर 1196 गिन तर्फ दक्षिण रकवा 0.38 हे. मनोजकुमार पुत्र प्रकाशचन्द ब्राहमण हिस्सा 2/7, कमलादेवी पत्नी सूरजप्रसाद हिस्सा 1/14 कौम दर्जी, पिकीदेवी पत्नी अभितकुमार हिस्सा 1/14 हिस्सा कौम वैश्य साठ देह, जगदीश, जगमोहन पिठ मदनलाल कौम ब्राहमण साठ सौख हिस्सा 2/7, सुरेश पुत्र जगदीशप्रसाद हिस्सा 1/7 अशोककुमार पुत्र पूरनचन्द कौम ब्राहमण साठ मथुराहेडा हिस्सा 1/7 व खातेदार मनोजकुमार के हिस्से में से देवान वहक लक्ष्मणप्रसाद पुत्र नत्थीलाल, कमलेशकुमार पुत्र नत्थीलाल कौम ब्राहमण साठ देह खातेदार 1000 वर्ग फुट तकसीम में दिये जाते है तहसीलदार कटूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ला09 के नाम अलग अलग खाता कायम कर नक्शा ट्रेस में तरमीम कर राजस्व रेकार्ड में नवीन अंकन करे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फंसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


कनिष्क सेनी
उपखण्ड अधिकारी कटूमर
(अलवर)

आज दिनांक 21.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


कनिष्क सेनी
उपखण्ड अधिकारी कटूमर
(अलवर)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/ 20 सन् 2015

वउनवान

1. शिवदेई पत्नी उदयसिंह जाति जाट निवासी बडका तहसील कठूमर
— डिक्रीदार

बनाम

1. मनोजकुमार पुत्र प्रकाशचन्द जाति ब्राहमण निवासी कठूमर
2. रामनिवास पुत्र लखनसिंह जाति ब्राहमण निवासी कठूमर
3. राजेश पुत्र लखनलाल जाति ब्राहमण निवासी कठूमर
4. जगदीश पुत्र मदनलाल जाति ब्राहमण निवासी साँख
5. जगमोहन पुत्र मदनलाल जाति ब्राहमण निवासी साँख
6. सुरेशचन्द पुत्र जगदीशप्रसाद जाति ब्राहमण निवासी मथुराहेडा
7. अशोककुमार पुत्र पूरनचन्द जाति ब्राहमण निवासी मथुराहेडा
8. लक्ष्मणप्रसाद पुत्र नत्थीलाल जाति ब्राहमण निवासी कठूमर
9. कमलेश पुत्र नत्थीलाल जाति ब्राहमण निवासी कठूमर
तहसील कठूमर
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कठूमर


— मदयुनान

दावा तकसीम वो हुक्मइन्तनाई दवामी

दावा वादिया अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर वादिया शिवदेई पत्नी उदयसिंह जाति जाट निवासी बडका को आराजी खसरा नम्बर 1196 मिन तर्फ उत्तर रकवा 0.06 हे. वाके ग्राम कठूमर तहसील कठूमर तकसीम में दिया जाता है तथा खसरा नम्बर 1196 मिन तर्फ दक्षिण रकवा 0.38 हे. मनोजकुमार पुत्र प्रकाशचन्द ब्राहमण हिस्सा 2/7,


उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

कनकादेवी पत्नी सूरजप्रसाद हि01/14 कौम दर्जी, पिकीदेवी पत्नी
जन्तिकुमार हिस्सा 1/14 हिस्सा कौम वैश्य सा0 देह, जगदीश,
जन्मोहन पि0 मदनलाल कौम ब्राह्मण सा0 सौख हिस्सा 2/7, सुरेश
पुत्र जगदीशप्रसाद हिस्सा 1/7 अशोककुमार पुत्र पूरनचन्द कौम ब्राह्मण
सा0 मथुराहेडा हिस्सा 1/7 व खातेदार मनोजकुमार के हिस्से में से
देवान वहक लक्ष्मणप्रसाद पुत्र नत्थीलाल, कमलेशकुमार पुत्र नत्थीलाल
कौम ब्राह्मण सा0 देह खातेदार 1000 वर्ग फुट तकसीम में दिये जाते है
नत्थीलालदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में
कर नक्शा एवं प्रतिवादी संख्या 1 ला09 के नाम अलग अलग खाता कायम
कर नक्शा ट्रेस में तरमीम कर राजस्व रेकार्ड में नवीन अंकन करे।
आज दिनांक 21.02.2018 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व
मुहर अदालत से जारी किया गया।


कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर
(कठूमर)